



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



25 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 273 राँची, बुधवार,

15 मई, 2024 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

संकल्प

13 मई, 2024

सं०सं०-01/आ०श्र०नि०प्र०(प्रशि०)-02-01/2023श्र०नि०-598--राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मो० जियाउर रसीद, सेवानिवृत्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची को विभागीय आदेश संख्या-820, दिनांक-08.05.2023 के द्वारा विभागान्तर्गत मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची में क्रय किये गये सामग्रियों में वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु जांच समिति का गठन किया गया है। जांचोपरांत जांच समिति द्वारा विभागीय पत्रांक-1240, दिनांक-20.07.2023 के माध्यम से साक्ष्य सहित जांच प्रतिवेदन समर्पित कराया गया है। विभाग द्वारा मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची में हुए सामग्रियों के क्रय में स्थापित नियमों का पालन नहीं किया गया। मो० जियाउर रसीद, सेवानिवृत्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची द्वारा उक्त कार्य कर कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया तथा सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया को अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

2. मो० जियाउर रसीद, सेवानिवृत्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), रांची के विरुद्ध विभाग को उपलब्ध कराये प्रतिवेदन की समीक्षांपरांत मो० जियाउर रसीद, सेवानिवृत्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), रांची के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जांच झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गणेश कुमार, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) विभागीय जांच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में विभाग के तरफ से आरोप के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती अंजू अग्रवाल, प्रवर कोटि प्राचार्य, औ०प्र०स०, धनबाद अतिरिक्त प्रभार सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) (मु०), निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, रांची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता ।

5. संकल्प संख्या-529, दिनांक-24.04.2024 को निरस्त किया जाता है ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार का संयुक्त सचिव ।
